

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-4/2018/

दिनांक:-

-:आदेश:-

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मियों जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क. सं.	कर्मचारी का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	सुल्तान खान	नर्स प्रथम	जोधपुर	01.06.1958	09.07.1979	31.05.2018
2.	शेर सिंह यादव	नर्स प्रथम	अलवर	04.07.1958	29.06.1982	31.07.2018
3.	दुर्गपाल सिंह	नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	उदयपुर	14.07.1958	29.07.1983	31.07.2018
4.	धनपाल सोनी	नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	21.09.1958	30.04.1980	30.09.2018
5.	रामनिरंजन माथुर	नर्स प्रथम	सीकर	15.10.1958	25.06.1981	31.10.2018
6.	दानवीर सिंह	नर्स प्रथम	सीकर	19.11.1958	10.02.1984	30.11.2018
7.	लूसी सिन्हा	नर्स प्रथम	बूंदी	10.12.1958	04.11.1980	31.12.2018
8.	अशोक कुमार डामोर	नर्स प्रथम	बांसवाड़ा	01.01.1959	16.02.1990	31.12.2018
9.	घनश्याम शर्मा	नर्सिंग ट्यूटर	सीकर	28.12.1958	21.06.1989	31.12.2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मियों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर

दिनांक: 08/05/2018

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./पार्ट-4/2018/263

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (ईएसआई योजना), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
5. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी., मुख्यालय।
6. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई।
7. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
8. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
9. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
11. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान जयपुर